न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 157/17 (RCMS No.2017/00170) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रमेश
2. विजय कुमार | पुत्र बजरंगा
3. रामस्वरूप
4. कन्हैया
5. शंकर | पुत्र घासीराम | जाति बैरवा निवासी आलनपुर तहसील व जिला
6. शन्नू | सवाई माधोपुर
7. संजय
8. पदमा पुत्री घासी राम
9. जसोदा पत्नि घासीराम

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रामजी लाल पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी आलनपुर तहसीसल व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 27.08.2002

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः— 31.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.08.2002 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाई माधोपुर ने उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में एक रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 567/1, 1723/67, 1723/68, 1723/70, 1723/98/1, 1723/108 कुल रकवा 20 बीघा 11 विस्वा भूमि बन्दोवस्त विभाग के द्वारा अवैधानिक तरीके से नामा0 सं0 87 निर्णय दिनांक 07.08.92 के द्वारा पूर्व में जायज खातेदार रामजीलाल पुत्र पन्ना जाति बैरवा सा0 देह

के बजाय उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा घासीराम, रमेश, कन्हैया लाल, विजय कुमार, रामस्वरूप पिसरान बजरंगा जाति बैरवा सा0 देह आलनपुर के नाम दर्ज कर दिया है, जो नियमों के विरूद्ध होने के कारण नामा0 सं0 87 निरस्त कर बन्दोवस्त विभाग की गलती को सुधारकर पुनः सही इन्द्राज करने का निर्णय किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण उपस्थित आये। परन्तु जबाब पेश नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि नामा0 सं0 87 निर्णय दिनांक 07.08.92 नियमों के विपरीत है। अतः नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम आलनपुर का सम्पूर्ण इन्द्राज बहैसियत खातेदार रामजीलाल पुत्र पन्ना जाति बैरवा के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.08.2002 को पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में पन्ना पुत्र रामा के नाम दर्ज थी। रामा के दो लड़के पन्ना व बजरंगा थे। पन्ना का रामजी लाल है तथा बजरंगा के घासीराम, रमेश, विजय कुमार, रामस्वरूप, कन्हैया लाल, पिसरान बजरंगा हैं तथा घासीराम के शंकर, शम्भू, संजय पुत्रान एवं पदमा पुत्री तथा जसोदा वेवा हैं। मृतक पन्ना व बजरंगा सगे भाई थे विवादित आराजी पैत्रिक होने से अपीलान्ट व रैस्पो0 का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर इसी प्रकार कब्जा है। रैस्पो0 सं0 1 रामजीलाल ने भू प्रबन्ध विभाग में विवादित आराजी पैत्रिक होने व विरासत के अनुसार 1/2 भूमि पर भौतिक कब्जा होने बाबत् अपीलान्ट के पक्ष में 10/—रूपये के स्टाम्प पर सहमति पत्र लिखकर दिया था जिसके आधार पर नामा0 सं0 87 दिनांक 07.08.92 तस्दीक किया गया। जिसके आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पर सही तामील नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का सही अवलोकन नही किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट आज भी 1/2 हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। अपीलान्ट को दिनांक 21.08.15 को पटवारी से जमाबन्दी की नकल लेने पर नामा0 निरस्त होने की जानकारी हुई थी। अपीलान्ट ने धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं नामा0 के आधार पर हो रहे इन्द्राजों को यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी उसके पिता पन्ना के नाम दर्ज थी। पन्ना की विरासत रैस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। बन्दोवस्त विभाग ने बिना अधिकार के विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को अपीलान्ट घासीराम वगैरहा के नाम दर्ज कर दिया। जबकि बन्दोवस्त विभाग को किसी की खातेदारी को बदलने का अधिकार नही है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने से तहसीलदार ने अपीलान्ट के विरूद्ध रैफरेन्स की कार्यवाही की है, जो सही है। उनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2002 का है जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 01.10.2015 को अपील पेश की है। अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है। अपीलान्ट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई उचित कारण नही बताया है। इसलिये अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी के खातेदार पन्ना पुत्र रामा बैरवा थे। जैसाकि जमाबन्दी सं0 2044 से 2047 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त आराजी विरासत नामान्तरकरण सं0 983 दिनांक 19.01.88 से पन्ना के स्थान पर रामजीलाल के नाम दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी का खातेदार रैस्पो0 रामजीलाल था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 87 की फोटो कापी से प्रकट होता है कि एआरओ (सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी) सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 04.08.92 से रामजीलाल पुत्र पन्ना 1/2 व घासीराम, रमेश, कन्हैया लाल, विजय कुमार, रामस्वरूप पिसरान बजरंगा हि0 1/2 जाति बैरवा सा0 देह के नाम भरा गया है जो दिनांक 07.08.92 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वितीय मुख्यालय टोंक द्वारा स्वीकार किया गया है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा गत इन्द्राजों को रिपीट किया जाता है किसी की खातेदारी को समाप्त करने या किसी को खातेदार घोषित करने का अधिकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को नही है। सहायक भू प्रबन्ध अधिाकरी के निर्णय को विधि सम्मत् नही कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.08.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official